कार्यालय, प्रबंधक, बकरी पालन सह प्रजनन प्रक्षेत्र, मरंगा, पूर्णियाँ।

पुनः निविदा आमंत्रण सूचना

संख्या 02/2016–17

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए बकरी पालन सह प्रजनन प्रक्षेत्र मरंगा, पूर्णियाँ के सुदृढिकरण के लिए निम्नांकित नश्ल के प्रजनन योग्य बकरा/बकरियों की आवश्यकता है :–

बकरी :–	ब्लैक बंगाल–200, बरबरी–50, जखराना–50 एवं जमुनापारी–50, कुल –350 (लगभग)
बकरा :–	ब्लैक बंगाल– 10, बरबरी–02, जखराना–02 एवं जमुनापारी–02, कुल – 16 (लगभग)

इस हेतु आपूर्तिकर्त्ता एवं आपूर्ति दर निर्धारण के लिए सक्षम आपूर्तिकर्त्ता/ब्रीडर से सीलबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। सील बंद निविदा दिनांक 25.12.16 को अपराह्न 5:00 बजे तक कार्यालय, प्रबंधक बकरी पालन सह प्रजनन प्रक्षेत्र, मरंगा, पूर्णियाँ में निबंधित डाक/हाथों–हाथ स्वीकार किया जाएगा, जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग (सील बंद लिफाफा में) रहना अनिवार्य होगा। निविदा में भाग लेने वाले आपूर्तिकर्त्ता/ब्रीडर को सुरक्षित जमा राशि (Earnest Money) के रूप में 25,000/–(पचीस हजार रूपये) का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक का बैक ड्राफ्ट जो REGIONAL DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY, PURNEA के पदनाम से देय हो, तकनीकी निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा। आमंत्रित निविदा दिनांक 26.12.16 को 10:00 बजे पूर्वाह्न में प्रमण्डलीय कय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

विशेष जानकारी (नियम एवं शर्त) हेतु विभागीय वेबसाईट http://ahd.bih.nic.in पर एवं कार्यालय के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है।

22.11.16

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन
पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ।

आमंत्रित निविदा आमंत्रण हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें :–

1. आपूर्तिकर्त्ता/ब्रीडर को तकनीकी निविदा और वित्तीय निविदा को अलग–अलग लिफाफे में जिसके उपर साफ एवं सुस्पष्ट रूप से "तकनीकी निविदा" एवं "वित्तीय निविदा" अंकित कर इन दोनों लिफाफे को एक बडे लिफाफे में सील बंद कर उसके उपर "बकरी एवं बकरे की आपूर्ति हेतु निविदा" अंकित कर भेजना अनिवार्य होगा। विधिवत रूप से दिनांक 25.12.216 के अपराह्न 05 बजे तक प्राप्त सील बंद लिफाफे को ही स्वीकार किया जएगा।
2. निर्धारित तिथि तक प्राप्त निविदाओं को दिनांक 26.12.2016 को आयोजित प्रमण्डलीय कय समिति की बैठक में निर्णय हेतु खोला जाएगा।
3. तकनीकी निविदा में निम्नांकित संलग्नक होना अनिवार्य है :–

(i) सुरक्षित जमा (Earnest Money) के रूप में 25,000/–(पचीस हजार रूपये) का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो कि "REGIONAL DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY, PURNEA" के पद नाम से जो PURNEA में भुगतेय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। कय समिति के निर्णय के उपरान्त असफल निविदादाता को Earnest Money लौटा दिया जाएगा।
(ii) वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छया प्रति।
(iii) पैन (PAN) कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति।
(iv)विगत तीन वर्षो का इन्कम टैक्स रिर्टन की छाया प्रति।

(v) विगत तीन वर्षों में सरकारी/प्रतिष्ठित संस्थानों को बकरा–बकरी की आपूर्ति करने संबंधी क्रयादेश की अभिप्रमाणित छाया प्रति।

(vi)वित्तीय पृष्ठ भूमि (वार्षिक टर्नओवर) से संबंधित Chartered Accountant का विगत तीन वर्षों का प्रमाण पत्र।

(vii) एक शपथ पत्र (मूल रूप में) जिसमें अग्रलिखित दो बातें अंकित हो :– 1. किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अर्धसरकारी संस्थान द्वारा आपूर्तिकर्त्ता/ब्रीडर का नाम काली सूचि में दर्ज नहीं है एवं 2. उन्हें निविदा में उल्लेखित सभी शर्त मंजूर है।

(viii) ब्रीडर फार्म का विस्तृत विरणी एवं सहबद्धता प्रमाण पत्र (Certificate of affiliation) जहॉ से आपूर्तिकर्त्ता बकरी/बकरा प्राप्त करेंगे (यह सुनिश्चित करने हेतु कि आपूर्तिकर्त्ता शुद्ध नस्ल (TO THE BREED) के बकरा–बकरी आपूर्ति में सक्षम हैं या नहीं)।

4. निविदा में अंकित शर्तों के अन्तर्गत तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा क्रय समिति के द्वारा खोला जाएगा एवं उसपर निर्णय लिया जाएगा।

5. वित्तीय निविदा में आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा विभिन्न नस्लों के बकरी–बकरा का उम्र एवं वजन, आपूर्ति की क्षमता, एवं दर (सभी खर्चों जैसे कर, परिवहन इत्यादि सहित) अंकित करना होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगी।

वित्तीय निविदा में दी जाने वाली आवश्यक जानकारी एवं दर निम्नांकित प्रपत्र में दिया जाना अनिवार्य है :–

क्रमांक	नश्ल	उम्र एव वजन	वर्ष 2016–17 में आपूर्ति की क्षमता	मूल्य (रूपये में) प्रति यूनिट (सभी खर्च सहित)	
				अंकों में	शब्दों में
1	ब्लैक बंगाल बकरी	9 से 12 माह 10 से 12 कि0ग्रा0			
2	ब्लैक बंगाल बकरा	1 वर्ष 12 से 15 कि0ग्रा0			
3	बरबरी बकरी	12 से 15 माह 12 से 15 कि0ग्रा0			
4	बरबरी बकरा	15 से 18 माह 15 से 18 कि0ग्रा0			
5	जखराना बकरी	12 से 14 माह 15 से 18 कि0ग्रा0			
6	जखराना बकरा	12 से 14 माह 18 से 20 कि0ग्रा0			
7	जमुनापारी बकरी	12 से 14 माह 15 से 18 कि0ग्रा0			
8	जमुनापारी बकरा	12 से 14 माह 18 से 20 कि0ग्रा0			

6. वित्तीय निविदा में अंकित सभी दरों को अंको के साथ–साथ शब्दों में भी लिखना अनिवार्य है, जिसमें किसी भी प्रकार का कटिंग/ओभर राइटिंग नहीं होना चाहिए।

7. सफल आपूर्तिकर्त्ता/ब्रीडर को क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के साथ एकरारनाम करना होगा जिसमें निविदा के सभी नियम एवं शर्तों का उल्लेख होगा। जिसके उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी आवश्यक नियम एवं शर्तें के साथ क्रयादेश निर्गत किया जाएगा।

8. आवश्यकतानुसार क्रयादेश निर्गत करने के समय बकरा/बकरियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

9. क्रयादेश में निर्धारित तिथि तक निर्धारित संख्या में उन्नत नस्ल के बकरी–बकरा को बिना किसी अलग परिवहन राशि के अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित जगह (पूर्णियाँ) में आपूर्ति करना होगा। जहॉ पर 21 दिनों तक कोरेंटाइन अवधि के पश्चात् बकरा–बकरी प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए भी 21 दिनों तक बकरी–बकरा के खान–पान / चिकित्सा पर व्यय राशि का अधोहस्ताक्षरी के द्वारा भुगतान देय नहीं होगा।

10. निविदा / एकरारनामा / आपूर्ति आदेश के नियम एवं शर्तों के अनुरूप स्वस्थ्य बकरे / बकरी की अपूर्ति की जिम्मेदारी स्वयं आपूर्तिकर्त्ता / ब्रीडर की होगी।

11. आपूर्ति तिथि से कम से कम 21 दिन पहले आपूर्ति की जाने वाली बकरा–बकरी का पी0पी0आर0 (PPR) से टीकाकरण होना अनिवार्य है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र के बिना आूपर्ति प्राप्त नहीं की जाएगी।

12. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बकरी–बकरा का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो कि एक निबंधित पशुचिकित्सक द्वारा जारी हो तथा जिसमें सभी विवरणी जैसे उम्र, लिंग, नस्ल , वजन, स्वास्थ्य एवं टीकाकरण की स्थिति दर्ज हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. प्रबंधक बकरी पालन सह प्रजनन प्रक्षेत्र मरंगा, पूर्णियाँ उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने के पश्चात् आपूर्ति की जाने वाली बकरी–बकरा प्राप्त करेंगे।

14. स्वस्थ्य बकरे / बकरी की सफल आपूर्ति के उपरान्त ही एकरारनामा के अनुसार प्रबंधक बकरी पालन सह प्रजनन प्रक्षेत्र, मरंगा पूर्णियाँ द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बकरी–बकरा के संबंध में प्राप्त प्रमाण पत्र के उपरांत ही एकरारनामा के अनुसार आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

15. किसी भी परिस्थिति में आपूर्तिकर्त्ता / ब्रीडर की अतिरिक्त शर्तें मान्य नहीं होगी।

16. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि बिना किसी सूचना के किसी भी समय आमंत्रित निविदा को रद्द कर सके।

17. निविदा में उल्लेखित क्रय समिति के निर्णय, एकरारनामा, या आपूर्ति आदेश के किसी भी शर्तों के उलंधन किए जाने पर संबंधित आपूर्तिकर्त्ता को काली सूचि में दर्ज करने की कार्रवाई करते हुए सुरक्षित राशि जब्त कर ली जाएगी।

18. मतभेद की स्थिति में निदेशक पशुपालन, बिहार पटना का निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

19. किसी भी प्रकार का वैधानिक मामला पूर्णियाँ जिला न्यायालय में मान्य होगा।

22.11.17

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन
पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ।